2004:CGHC:1544

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

रिट याचिका संख्या - 3498/2003

याचिकाकर्ता - कुमारी अंजूम आयु लगभग 19 वर्ष, पिता श्री निजामुद्दीन निवासी मकान संख्या 3-सी सड़क संख्या-30, क्षेत्र संख्या-7 भिलाईनगर तहसील एवं जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

उत्तरवादीगण

1. छ.ग. शासन
   द्वारा सचिव लोक स्वास्थ चिकित्सा शिक्षा एंव परिवार नियोजन विभाग डी.के. एस. भवन मंत्रालय रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. गुरू घासीदास विश्वविद्यालय अन्तर्गत गठित म0प्र0/छ0ग0 विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत गठित,
   द्वारा कुलपति पो0 बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

3. छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान,
   द्वारा डीन बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

4. भारतीय चिकित्सा परिषद ऐवान-ए गालिब मार्ग नई दिल्ली- 110002

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिका अंतर्गत अनुच्छेद 226/227 भारतीय संविधान के अधीन

उत्प्रेषण, परमादेश एवं प्रतिषेध इत्यादि जारी कराने हेतु

2004:CGHC:1544

छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़

रिट पीटिशन संख्या 3498/ 2003

कुमारी अंजूम

विरूद्ध

छ.ग. शासन वगैरह

आदेश के लिए सूचीबद्ध करने हेतु : दिनांक 03 फरवरी 2004

सही/-
न्यायमूर्ति
एल. सी. भादू

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2004:CGHC:1544

छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

रिट पीटिशन संख्या 3498 / 2003

कुमारी अंजूम

विरूद्ध

छ.ग. शासन वगैरह

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता के लिए - श्री आनंद कुमार तिवारी, अधिवक्ता

राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 के लिए - श्री रनवीर सिंह, शासकीय अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमाकं 02 व 03 के लिए - श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव, अधिवक्ता

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आदेश

दिनांक 03 फरवरी 2004 को पारित

न्यायमूर्ति एल. सी. भादू

1) याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 226/227 के अधीन रिट याचिका दायर की है, जिसके अधीन उसने एमबीबीएस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में उसे प्रवेश न देने में उत्तरवादी 01 से 03 की कार्यवाही की वैधता, औचित्य, वैधानिकता और सही न होने को चुनौती दी है।

2) प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य यह है कि, प्री0 मेडिकल मेरित में 127 वॉ स्थान याचिकाकर्ता अनारक्षित श्रेणी से संबंधित है। याचिकर्ताकर्ता की मार्कशीट अनुलग्न पी/2 है। उत्तरवादी संख्या 02 ने सफल उम्मीदवारों को 24 और 25 सितंबर 2003 में काऊंसलिंग के लिए बुलाया। अन्य सीटों के अलावा प्रत्येंक श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कुछ पेमेंट सीटें आरक्षित और अनारक्षित खुली श्रेणी के लिए पन्द्रह सीटें और अनारक्षित महिला श्रेणी के

लिए 08 सीटें भी आरक्षित थी। याचिकाकर्ता को 24 सितम्बर 2003 को सुबह 09 बजे छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्था, बिलासपुर में काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है और यह स्पष्ट कर दिया गया कि, वह काउंसलिग के लिए याचिकाकर्ता को दो दिन रूकना आवश्यक है। उक्त परामर्श पत्र याचिकाकर्ता को 23 सितंबर 2003 के क्रम संख्या 134 के अधीन भेजा गया था।

3) याचिकाकर्ता काउंसलिंग में उपस्थित हुयी। परन्तु 24 सितम्बर 2003 को उसकी काउंसलिंग नहीं हो सकी तथा 25 सितम्बर 2003 को उसकी काउंसलिंग हो सकी। काउंसलिंग के समय याचिकाकर्ता को बताया गया कि, उसका चयन पेमेंट सीटों के लिए हो गया है। अतः उसे तत्काल 2,50,000/- रूपयें जमा कराने होंगे। याचिकाकर्ता के पिता ने समय मांगा परन्तु याचिकाकर्ता शाम 06:00 बजे तक फीस जमा नहीं करा पाई, अतः उसे दाखिला नहीं दिया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4) याचिकाकर्ता का तर्क है कि, काउंसलिंग के सम्बंध में नियम अस्पष्ट है। उत्तरवादीयों द्वारा याचिकाकर्ता को स्पष्ट और निश्चितता के साथ जानकारी का संप्रेषण नहीं किया गया जो कि, काउंसलिंग के परिणाम की जानकारी न होने के कारण याचिकाकर्ता को इस प्रकार जानकारी संप्रेषित करना स्पष्ट रूप से संभव नहीं था कि, याचिकाकर्ता या किसी अन्य उम्मीदवार को 2,50,000/- रूपयें का डिमांड ड्राफ्ट लाना आवश्यक होगा। याचिकाकर्ता उत्तरवादी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के नाम पर 2,50,000/- रूपयें जमा करने के लिए हमेशा तैयार था। जब किसी विशेष श्रेणी में दाखिला संभावअनों के आधार पर किया जाना था, तो याचिकाकर्ता जैसे उम्मीदवारों के लिए 2,50,000/- रूपयें की बड़ी राशि जमा करने के लिए कुछ सम्मान जनक समय सीमा निर्धारित करना हमेशा उचित था और याचिकाकर्ता को राशि जमा करने के लिए कुछ उचित समय दिया जाना चाहिए था।

5) याचिकाकर्ता ने तुरंत अपने पिता के माध्यम से सीट सुनिश्चित करने के लिए गारंटी के रूप में 50,000/- रूपयें जमा करने की पेशकश की ओर उत्तरवादी को विशेष रूप से सूचित किया कि, उनके भाई को शेष राशि ले जाने के लिए टेलीफोन द्वारा निर्देश दिया गया है और वह भिलाई से बिलासपुर के लिए चल पड़ा है। जैसे ही वह पहुचेगा, शेष राशि जमा कर दी जाएगी लेकिन उत्तरवादियों ने याचिकाकर्ता सहित याचिकाकर्ता के पिता के अनुरोध को सुनने से इंकार कर दिया और उन्होने बताया कि, दाखिला रदद कर

दिया गया है। याचिकाकर्ता और उसके पिता को पता चला कि, अभी भी 17 सीटें खाली है। जिनके लिए 28/09/2003 एवं 29/09/2003 को काउंसलिग होना है। याचिकाकर्ता एक बार फिर अपने पिता के साथ छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान पहुची और बार बार आग्रह किया कि, तुलनात्मक आधार पर एक मेधावी छात्रा होने के नाते उसे काउंसलिग के लिए बुलाया जाना चाहिए, जबकि उत्तरवादी याचिकाकर्ता से कम अंक पाने वाले छात्रों को प्रवेश देने पर आमादा थे, जो एक स्पष्ट अवैधानिकता थी इसलए याचिकाकर्ता को दाखिला न देने में उत्तरवादियों के निर्णय को रदद करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने और उत्तरवादियों को प्रथम वर्ष के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिला के लिए याचिकर्ता के मामले पर विचाार करने का निर्देश देने के लिए परमादेश जारी करने और एमसीआई को आउसलिंग के सम्बंध में उचित नियम बनाने का निर्देश देने के लिए प्रार्थना की है।

6) उत्तरवादी क्रमांक 02 और 03 की ओर से जवाब दाखिल किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि न केवल याचिकाकर्ता बल्कि अन्य सभी उम्मीदवार जिन्हे दिनांक 24/09/2003 को परामर्श में भाग लेने के लिए परामर्श पत्र के माध्यम से आमंत्रित किया गया था और दिनांक 25/09/2003 पूरी तरह से जानता था कि उन्हे या तो फ्री सीट के खिलाफ या पेमेंट सीट के खिलाफ दाखिला का अवसर मिल सकता है और इसलिए ऐसी स्थिति में उन्हे सिकी भी मामले में शुल्क के पेमेंट के साथ तैयार होकर आना होगा। यह परामर्श पत्र के अनुसार उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को पहले पंजीकृत किया गया था और प्रवेश के नियमों के सेट की एक प्रति उन्हे सौंपी गई थी और उन्हे स्पष्ट रूप से बताया गया था कि, यदि इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उनका चयन किया जाता है, उन्हे तत्काल निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। याचिकाकर्ता सहित किसी भी उम्मीदवार को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि, उम्मीदवार को फ्री सीट के खिलाफ दाखिला का मौका मिलने की स्थिति में उसे तुरंत 29,500/- रूपयें जमा करने होगें और पेमेंट सीट के खिलाफ अवसर मिलने पर उसे जमा करना होगा। रूपयें 2,50,000/- दिनांक 24.09.2003 को काउंसलिग के दौरान सामान्य श्रेणी की सही फ्री सीटें भरी गई और शाम को कार्यालय में प्रदर्शित की गई। काउंसलिंग में हिस्सा लेने वाले याचिकाकर्ता सहित सभी उम्मीदवारों को सीटों की स्थिति के बारें में पता चला और दिनांक 24/09/2003 की शाम को यह स्पष्ट हो गया कि, दिनांक 25/09/2003

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को काउंसलिंग केवल पेमेंट सीटों के लिए होती थी, फिर भी याचिकाकर्ता ने कोई व्यवस्था नही की थी।

7) यह जानकर कि, वह प्रवेश पाने में सफल नहीं हो सकती दिनांक 24/09/2003 को फ्री सीट के खिलाफ सभी फ्री सीटे भर गई है। याचिकाकर्ता को शुल्क जमा करने की आवश्यकता के बारें में पूरी तरह से अवगत थे, यदि उसे दाखिला की पेशकश की जाती है तो शुल्क जमा करने की सभी व्यवस्था करनी चाहिए थी। दिनांक 25/09/2003 को काउंसलिंग के दौरान पेमेंट सीट के खिलाफ यह ज्ञात नहीं है कि, 50,000/- रूपयें डिमाड ड्राफ्ट किस आधार पर तैयार किया गया था, क्योकि, वह या तो 29,500/- रूपयें का ड्राफ्ट या अन्य सभी उम्मीदवार जो 25/09/2003 को काउंसलिंग के लिए उपस्थित हुये थे, पेमेंट सीट के खिलाफ दाखिला का अवसर मांगते हुए, दाखिला की पेशकश की जाने पर नियमों की आवश्यकता के अनुसार 2,50,000/- रूपयें जमा शुल्क और परामर्श पत्र सभी 24 में सामान्य श्रेणी में पेमेंट सीट के खिलाफ लिए गए दाखिला थे और उन सभी उम्मीदवारों ने तब और वहाँ शुल्क जमा किया था। यह स्पष्ट होगा कि, सभी उम्मीदवरों को पूरी जानकारी थी कि, पेमेंट सीट के खिलाफ दाखिला का अवसर मिलने की स्थिति में उन्हे शुल्क जमा करना होगा अन्यथा उनके बाद सूचीबद्ध उम्मीदवार को दाखिला की पेशकश की जाएगी। इस प्रकार याचिकाकर्ता दाखिला के मामले में आवश्यकता का पालन करने में विफल रहा है और इसलिए उत्तर देने वाले उत्तरदाताओं की ओर से कोई अवैधता या मनमानी नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8) याचिकाकर्ता ने अपने मामले पर अनुकंपा के आधार पर और अलग से विचार करने की मांग की है, इस बात की अनदेखी करते हुये नियम बनाए गए है और शर्ते बनाई गई है जो आम तौर पर सभी उम्मीदवारों पर लागू होती है। जहाँ तक स्वतंत्रता सेनानी कोटे की सीट से परिवर्तित सामान्य श्रेणी की सीट के खिलाफ दाखिला के लिए याचिकाकर्ता के दावें का सवाल है जिसके लिए 28/09/2003 और 29/09/2003 को काउंसलिग आयोजित की गई थी, यह प्रस्तुत किया गया है कि, इस न्यायालय के समक्ष डब्लू पी संख्या 3243/2003 के रूप में पंजीकृत एक रिट याचिका दायर करके उक्त प्रवेश को चुनौती दी गयी थी और इस मामले में एक सामन्य श्रेणी के उम्मीदवार को दिया गया

दाखिला इस न्यायालय के दिनांक 21/11/2003 के आदेश के अनुसार निरस्त कर दिया गया है।

9) याचिकाकर्ता द्वारा यह कहने के लिए किए गए सभी दावें कि, उसके पिता को नहीं पता था कि, उन्हे 2,50,000/- रूपयें लाने है, झूठे और बाद में सोचे गए है। जवाब देने वाले उत्तरवादियों ने इस तथ्य को विशेष रूप से इंकार किया है क्योकि याचिकाकर्ता और उसके पिता को स्पष्ट रूप से पूरी जानकारी थी कि, उन्हे पेमेंट सीट के विरूद्ध दाखिला का मौका मिलने की स्थिति में 2,50,000/- रूपयें लाने होगें। इसलिए, याचिका खारिज की जाए।

10) मैने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री आनंद कुमार तिवारी, राज्य के शासकीय अधिवक्ता श्री रणवीर सिंह और उत्तरवादी क्रमांक 02 और 03 के अधिवक्ता श्री मनिंद्र श्रीवास्तव को सुना है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि, याचिकाकर्ता को स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया कि किस श्रेणी में उसके दाखिला पर विचार किया जा रहा है तथा कॉल लेटर में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं था। याचिकाकर्ता को यह जानकारी नहीं कि, उसके मामले पर फ्री सीट अथवा पेमेंट सीट के विरूद्ध विचार किया जाएगा। अतः परिस्थितियों में अंतिम समय में याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि, उसे पेमेंट सीट कोटे के अंतर्गत दाखिला दिया गया है। उसे फीस जमा करने के लिए उचित अवसर दिया जाना चाहिए था। इसके अलावा, दाखिला के लिए जारी नियम भी अस्पष्ट है तथा याचिकाकर्ता के पिता ने उत्तरवादी क्रमांक 03 संस्थान के डीन को तत्काल सूचित दिया कि उनका पुत्र दुर्ग से चल चुका है तथा आने पर वह फीस जमा कर देगा। परन्तु याचिकाकर्ता के पिता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया जो कि, मनमाना तथा अवैधानिक था। अतः याचिकाकर्ता को दाखिला न देने में उत्तरवादियों की कार्यवाही पूर्णतः मनमाना तथा अवैधानिक तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध थी, अतः उत्तरवादियों को याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने तथा उसे दाखिला देने का निर्देश दिया जाए, क्योकि याचिकाकर्ता एक मेधावी छात्रा है। दूसरी ओर उत्तरवादी क्रामंक 02 और 03 के वकील श्री मनिंद्र श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि, काउंसलिग के लिए कॉल लेटर में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि, निशुल्क सीट के मामले में उम्मीदवार

2004:CGHC:1544

को 29,500/- रूपयें जमा करने होगें और पेमेंट सीट के मामले में उम्मीदवार को 2,50,000/- रूपयें जमा करने होगें और ऐसा पत्र सभी उम्मीदवारों को पहले ही भेज दिया गया था।

12)दूसरी ओर, उत्तरवादी 02 और 03 के वकील श्री मनिंद्रा श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि, काउंसलिग के लिए कॉल लेटर में यह स्पष्ट रूप से उललेख किया गया था, कि निशुल्क सीट के मामले में उम्मीदरवार को 29,500/- रूपयें जमा करने होगें और पेमेंट सीट के मामले में उम्मीदवार को 2,50,000/- रूपयें जमा करने होगें और ऐसा पत्र सभी उम्मीदवारों को पहले ही भेज दिया गया था। पहले से यह पता लगाना संभव नहीं था कि, कौल सा उम्मीदवार नई सीट और पेमेंट वाली सीट पर जा रहा है, इसलिए सभी उम्मीदवारों को सही स्थिति की जानकारी दी गई थी। पंजीकरण के समय सभी उम्मीदरवारों को नियम दिखाए गए थे, इसलिए याचिकाकर्ता को भुगजान वाली सीट के लिए शुल्क के साथ तैयार रहना चाहिए था। इसके अलावा जब 24 सितम्बर 2003 को फ्री सीट के खिलाफ उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया और शाम को यह प्रकाशित दिया गया कि, सभी फ्री सीटे भर गई है, तो यह सभी शेष उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त संकेत और सूचना थी, जिनका 25 सितंबर 2003 को साक्षात्कार होना कि, उनके मामले पर पेमेंट वाली सीट के खिलाफ विचार को ही याचिकाकर्ता को पेमेंट वाली सीट के खिलाफ विचार दिया जाएगा। इसलिए 25 सितम्बर 2003 के लिए शुल्का जमा करने के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए था। इसलिए याचिका निरस्त होने योग्य है।

13)याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात् यदि हम गुरू घासीदास विश्व विद्यालय बिलासपुर द्वारा 2003-2004 के लिए जारी एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियमों को देखे तो याचिका के पृष्ठक्रमांक 198 पर नियम 7 मे प्रावधान है कि, काउंसलिग के समय आबंटित कॉलेज तथा आबंटित सीट में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं दिया जाएगा तथा काउंसलिग के समय अभ्यर्थी को दाखिला लेने तत्काल पूर्ण शुल्क जमा करना आवश्यक है अन्यथा अभ्यर्थी का अवसर समाप्त माना जाएगा। इसी प्रकार यदि हम अनुलग्न पी/4 को देखे तो याचिकाकर्ता को काल कॉल लेटर भेजा गया था, उसके दूसरे पेज के कॉलम 12.1 में फीस का विवरण दिया गया है कि, निशुल्क सीट के लिए अभ्यर्थी को 29,500/- रूपयें जमा कराने होगें।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कण्डिका क्रमांक 12.2 में निर्धारित है कि, दाखिला के लिए काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी को कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के नाम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से तत्काल पूरी फीस जमा करानी होगी। फीस जमा करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। अतः परीक्षा में सम्मिलित होने के समय भी याचिकाकर्ता को दाखिला के नियम ज्ञात थे तथा तत्पश्चात् अनुलग्न पी/4 के कॉल लेटर के माध्यम से कंडिका 12.1 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया था कि, अभ्यर्थी को निशुल्क सीट के लिए 29,500/- रूपयें तथा पेमेंट सीट के लिए अभ्यर्थी को 2,50,000/- रूपयें जमा कराने होंगे। इस कॉल लेटर के खंड 12.2 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि, उम्मीदवार को तुरंत शुल्क जमा करना होगा और इसके लिए कोई और समय नहीं दिया जाएगा। इसलिए याचिकाकर्ता को जमा की जाने वाली शुल्क के साथ तैयार रहना आवश्यक था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14) जहाँ तक याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का प्रश्न है, याचिकाकर्ता को विशेष रूप से सूचित नहीं किया गया था। उसके मामले पर पेमेंट सीट के खिलाफ विचार किया जाएगा, इसलिए उसे फीस के साथ तैयार होकर आना चाहिए। उत्तरवादीयों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के अनुसार, विभिन्न संभावनाओं और अवसरों को देखने से पहले ही यह निर्धारित करना उनके लिए संभव नहीं था कि, किस उम्मीदवार पर पेमेंट सीट के खिलाफ विचार किया जाएगा और किस उम्मीदवार पर फ्री सीट के खिलाफ विचार किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को एक समान पत्र भेजा गया था जिसमें उन्हे फ्री सीट और पेमेंट सीट मामले में जमा की जाने वाली आवश्यक फीस के बारें में बताया गया था और यह याचिकाकर्ता के लिए पर्याप्त वैध और उचित सूचना थी। उसे दोनो मामलों के लिए तैयार होकर आना चाहिए था। इसके अलावा, जैसा कि, उत्तरवादीयों ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि, फ्री सीटों के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार 24 सितम्बर 2003 को लिया गया था तथा फ्री सीटें 24 सितम्बर 2003 को ही भर दी गयी थीं तथा इस आशय की सूचना शाम को अग्रिम सूचना थी कि, फ्री सीट के विरूद्ध उसके मामले पर विचार नहीं किया जा सकता क्योकि सभी सीटें भर गयी थी, इसलिए याचिकाकर्ता को 25 सितम्बर 2003 को पेमेंट सीट के लिए 2,50,000/- रूपयें की फीस के पहले से

तैयार रहना चाहिए था तथा इस चूक के लिए याचिकाकर्ता या उसके पिता उत्तरवादियों को दोषी नहीं ठहरा सकते।

15)इसके अलावा, अन्य सभी 24 उम्मीदवारों, जिन्हे एक समान पत्र प्राप्त हुये थे, ने पेमेंट सीटों के लिए अपनी फीस जमा कर दी थी, जो अपने आप में दर्शाता है कि, अन्य उम्मीदवारों को इस तथ्य के बारे में पता था कि, जिन उम्मीदवारों का 25 सितंबर 2003 को साक्षात्कार होना है, जैसा कि, उत्तरवादीयों और उनके जवाब में उल्लेख किया गया है और अनुलग्न आर/2-1 के अवलोकन से पता चलता है कि, याचिकाकर्ता शाम 6 बजे तक आवश्यक शुल्क जमा करने में विफल रही, इसलिए डीन डॉ.ए.के. सारंग ने माना कि, याचिकाकर्ता शाम 06 बजे तक आवश्यक शुल्क जमा करने में विफल रहने के कारण दाखिला के लिए पात्र नहीं है और उसे दाखिला के लिए आयोग्य घोषित किया गया। शाम 06 बजे तक उन्होने याचिकाकर्ता द्वारा शुल्क जमा करने का इंतजार किया और चूकि साक्षात्कार सुबह 09 बजे से दोपहर 02 बजे तक आयोजित किया गया था। इसलिए याचिकाकर्ता के पास पॉच घंटे में शुल्क की व्यवस्था करने का पर्याप्त समय था। उसे शुल्क की व्यवस्था करनी चाहिए थी। विशेष रूप से दाखिला के नियम-7 और कॉल लेटर में यह स्पष्ट किया गया था कि, कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और उम्मीदवार को तुरंत शुल्क जमा करना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16)इसलिए उपरोक्त दृष्टिकोण में मेरा अभिमत है कि, उत्तरवादियों के नियमों के अनुसार और याचिकाकर्ता को दिए गए नोटिस के अनुसार काम किया है, इसिलए उन्होने याचिकाकर्ता को दाखिला देने से इंकार करके कोई अनुचित और अवैधानिकता नहीं की है। याचिका में कोई बल नहीं है और यह निरस्त किये जाने योग्य है।

17)एतद्वारा मुकदमें की फीस के विषय में कोई आदेश के बिना निरस्त की जाती है।

सही /-
एल.सी. भादू
न्यायमूर्ति

2004:CGHC:1544

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By- Shri Devendra Singh, Advocate.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur